रामकृष्ण बनाम चेतनमल

9-5-22

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रस्तुत अपील में अपीलांट् संख्या 1 रामकृष्ण उर्फ रामकिशन की मृत्यु दिनांक 13–09–2017 को होने के उपरान्त भी अपीलांट् संख्या 2 जोकि अपीलांट् का सगा भाई है, अपीलांट् संख्या 1 के वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा इस संबंध में दिनांक 06–07–18 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपीलांट् के फौत होने की सूचना प्रस्तुत करते हुए सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के तहत अपील अबेट होने कथन करते हुए अपील को जरिये अबेटमेंट खारिज करने की मांग की गई।

प्रकरण में अपीलांट् के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट् रामकृष्ण के सगे भाई अपीलांट् संख्या 2 भागीरथ को रामकृष्ण के वारिसान को रिकार्ड पर प्रस्तुत करने का कथन किये जाने के बावजूद भी वे उनके सम्पर्क में नहीं है। ऐसी स्थिति में निर्धारित समयावधि में अपीलांट् रामकृष्ण के वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं की जा सकी। इस संबंध में हमने पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र व आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 06–07–2018 को इस आशय की सूचना न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई थी कि अपीलांट् रामकृष्ण का स्वर्गवास दिनांक 13–09–2017 को हो चुका है तथा उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति अभिभाषक अपीलांट् को दी गई। उक्त दिनांक के पश्चात् 28 पेशियॉ देने की बावजूद भी अपीलांट् रामकृष्ण पुत्र अर्जुनराम के जायज वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे प्रतीत होता है कि अपीलांट् के वारिसान अपील को आगे चलाने के इच्छुक प्रतीत नहीं होते है। चूंकि प्रकरण में अपीलांट् के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत् पर्याप्त समय न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाने के बावाजूद भी अपीलांट् के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस संबंध में सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के आदेश 22 नियम 3 में स्पष्ट रूा से अभिलिखित किया गया है कि मृतक व्यक्ति के वारिसन को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु निर्धारित

अवधि, मृत्यु की दिनांक से 90 दिवस के भीतर–भीतर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर प्रस्तुत अपील स्वतः ही अबेट हो जाती है तथा उक्त आश्य की मांग रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा की जा चुकी है। न्यायालय अन्तहीन समय तक अपीलांट् के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु इंतजार नहीं कर सकता ना ही अन्य पक्षकारों को उनकी विधिक मांग से वंचित ही रखा जा सकता है। न्याय की भी यह मंशा रही है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में यह साबित है कि अपीलांट् के वारिसान अपने अधिकारों के प्रति सावचेत नहीं रहे है नाही उनके स्वयं के द्वारा अपने हितों की सुरक्षार्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही ही की गई है। अतः सिविल प्रकिया संहिता, 1908 में के आदेश 22 नियम 9 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अपीलांट् की अपील जरिये अबेटमेंट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

9/5/2022

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर